रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112026-278071
CG-DL-E-20112026-278071

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6030] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2026/कार्तिक 26, 1948
No. 6030] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2026/KARTIKA 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2026

का.आ. 6270(अ).— यतः केंद्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68), की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की गजट अधिसूचना संख्या का.आ 3032 (ई), दिनांक 22 जून 2018 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 709बी [लोनी (दिल्ली) के पास एनएच-9 के साथ अपने जंक्शन से शुरू होकर बागपत, बराउत, शामली को जोड़ते हुए उत्तर प्रदेश राज्य में सहारनपुर के पास एनएच-344 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग] को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए और पूर्व में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 4586(ई), दिनांक 16 दिसंबर 2020 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709बी के डिजाइन किमी 0.000 से डिजाइन किमी 63.100 तक ईपीई क्रॉसिंग से शामली बाईपास खंड की शुरुआत तक के चार या अधिक लेन के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 59.753 किमी [सारणी 2] की निवल सड़क खंड लंबाई सारणी 1 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट दरों पर तथा दस करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले 3.347 किमी [सारणी-3] लंबाई वाले बाईपास के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर पर शुल्क उद्ग्रहित करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. आधार शुल्क दर (रुपए में)**
(1)	**(2)**
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. इसके अंतर्गत उद्ग्रहीत और संग्रहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निवल सड़क लबांई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात:-

सारणी-2		
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	**लंबाई (कि.मी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है**	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के जीवाना गाँव के पास एनएच-709बी के डिज़ाइन किमी 34.500 पर।	59.753 [बाईपास की लंबाई (10 करोड़ से अधिक लागत वाली) और संरचनाओं की लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबी) को छोड़कर]	चार या उससे अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक लागत वाले बाईपास के उपयोग के लिए ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट निवल बाईपास लंबाई के लिए निम्नलिखित शुल्क भी संदेय होगी:

सारणी-3						
शुल्क प्लाज़ा का स्थान (चेनेज)	**बाईपास का नाम**	**पर आरंभ होते हुए**	**पर मिलते हुए**	**बाईपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है**		**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
				लंबाई (कि.मी. में)	**लागत (करोड़ रुपये में)**	
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के जीवाना गाँव के पास एनएच-709बी के डिज़ाइन किमी 34.500 पर।	एनएच 709बी का ऐलम बाईपास	डिज़ाइन किमी 46.211 (मौजूदा किमी 77.010)	डिज़ाइन किमी 48.963 (मौजूदा किमी 79.753)	2.752	18.190	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	एनएच 709बी का	डिज़ाइन किमी	डिज़ाइन किमी	0.595	11.24	

	शामली बाईपास	62.505 (मौजूदा किमी 93.292)	63.100 (मौजूदा किमी 93.480)			
			कुल	**3.347**		

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.000/-रुपए (तीन सौ साठ रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-4

संदेय धनराशि	**अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या**	**विधिमान्यता की अवधि**
एक तरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए देय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक मास

5. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 के विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इसके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि सभी परिभाषाएँ नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. उपर्युक्त सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से वसूले जाने वाले शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 746.15 करोड़ रुपए है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने इत्यादि कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. डीएलडीआईवी-20013/91/2025-पीआईयू बागपत/ई-263363]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2026

S.O. 6270(E).—Whereas by Gazette notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3032 (E) dated the 22nd June 2018, issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act 1988 (68 to 1988), the Central Government has entrusted National Highway709B [(The highway starting from its junction with NH-9 near Loni (Delhi) connecting Baghpat, Baraut, Shamli and terminating at its junction with NH-344 near Saharanpur in the State of Uttar Pradesh)] to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules") and in supersession of earlier published gazette notification **S.O. 4586(E) dated 16th, December 2020**, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 59.753 km [Table 2], and at one and half times the base rate for bypasses having length of 3.347 km [Table 3] costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, for the use of four or more lane of EPE crossing to the start of Shamli bypass section from design km 0.000 to design km 63.100 of National Highway number 709B in the State of Uttar Pradesh and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per Km for the Base Year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	**(2)**
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected here under shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza namely:-

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At Design Km 34.500 of NH-709B near Jiwana Village of Baghpat district of Uttar Pradesh.	59.753 [Excluding length of Bypass (costing ≥10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza:

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	**Name of the Bypass**	**Taking Off**	**Merging at**	**Length and Cost of bypass for which additional fee is payable**		**Rate at which fee is payable**
				Length (in Km.)	**Cost (in Rs. Crore)**	
At Design Km 34.500 of NH-709B near Jiwana Village of Baghpat district of Uttar Pradesh..	Ailum Bypass of NH 709B	Design Km 46.211 (Existing km 77.010)	Design km 48.963 (Existing km 79.753)	2.752	18.190	150% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above
	Shamli Bypass of NH 709B	Design km 62.505 (Existing km 93.292)	Design km 63.100 (Existing km 93.480)	0.595	11.24	
			Total	**3.347**		

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 360.000 (Three Hundred and Sixty rupees Only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-4		
Amount Payable	**Maximum number of one- way journeys allowed**	**Period of Validity**
One and half times of the fee for one-way journey	Two	Twenty-four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

8. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

9. The estimated capital cost of the project is Rs. 746.15 Cr. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. DLDIV-20013/91/2025-PIU Baghpat/(E-263363)]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.11.20 13:51:04 +05'30'